

# राज्य सेवा संवर्ग संदर्भ समिति

- |                                  |                                      |                               |
|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| 1 बिहार प्रशासनिक सेवा संघ       | 8 बिहार योजना एवं विकास सेवा संघ     | 15 बिहार सांख्यिकी सेवा संघ   |
| 2 बिहार पुलिस सर्विस एसोसियेशन   | 9 बिहार सचिवालय सेवा संघ             | 16 बिहार सहकारिता अंकेक्षण    |
| 3 बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ       | 10 बिहार पुलिस मेन्स एसोशियेशन       | 17 बिहार आशुलिपिक सेवा संघ    |
| 4 बिहार अभियंत्रण सेवा संघ       | 11 बिहार लेखा सेवा संघ               | 18 बिहार आपूर्ति सेवा संघ     |
| 5 बिहार वित्त सेवा संघ           | 12 बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संघ | 19 बिहार पंचायत सेवा संघ      |
| 6 बिहार पशुपालन सर्विस एसोसियेशन | 13 बिहार प्रदेश फार्मसी शिक्षक संघ   | 20 अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ |
| 7 बिहार पुलिस एसोशियेशन          | 14 बिहार कृषि सेवा संघ               |                               |

पत्रांक :- ७२

दिनांक :- ३१.०८.१५

## आवश्यक सूचना

सभी सेवा संवर्ग की आपात बैठक दिनांक 02.08.2015 को 4:00 बजे अपराह्न में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ भवन, इन्कम टैक्स, गोलम्बर रखी गई है।

सभी सेवा संवर्ग से अनुरोध है कि उपरोक्त बैठक में निश्चित रूप से भाग लेने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

(सुशील कुमार)  
संयोजक

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष/महासचिव/महामंत्री/सचिव उपरोक्त सेवा संवर्ग को बैठक में भाग लेने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(७५/८/३१)०८/१५  
संयोजक

प्रतिलिपि :- उपरोक्त सेवा संवर्ग के अतिरिक्त अन्य संवर्ग जो सरकार के द्वारा प्रोन्नति समिति पर रोक के विरोध में जुड़ना चाहते हैं को भी आमंत्रित किया जाता है।

(७५/८/३१)०८/१५  
संयोजक

प्रतिलिपि :- सम्पादक सभी दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी/अंग्रेजी)/सभी दूरदर्शन को प्रकाशनार्थ एवं प्रसारणार्थ प्रेषित।

(७५/८/३१)०८/१५  
संयोजक

# राज्य सेवा संवर्ग संदर्भ समिति

१ र प्रशासनिक सेवा संघ	८ बिहार योजना एवं विकास सेवा संघ	१५ बिहार सांख्यिकी सेवा संघ
२ बहार पुलिस सर्विस एसोसियेशन	९ बिहार सचिवालय सेवा संघ	१६ बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संघ
बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ	१० बिहार पुलिस मेन्स एसोशियेशन	१७ बिहार आशुलिपिक सेवा संघ
बिहार अभियंत्रण सेवा संघ	११ बिहार लेखा सेवा संघ	१८ बिहार आपूर्ति सेवा संघ
५ बिहार वित्त सेवा संघ	१२ बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संघ	१९ बिहार पंचायत सेवा संघ
६ बिहार पशुपालन सर्विस एसोसियेशन	१३ बिहार प्रदेश फार्मसी शिक्षक संघ	२० अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ
७ बिहार पुलिस एसोशियेशन	१४ बिहार कृषि सेवा संघ	

पत्रांक :— ७।

दिनांक :— ३१.०२.१५

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री,  
बिहार सरकार।

विषय :— प्रोन्ति समिति की बैठक पर रोक हटाने के संबंध में।  
महाशय,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या—६१/२००२ एम० नागराज एवं अन्य बनाम् भारत संघ एवं अन्य में दिनांक १९.१०.२००६ को पारित न्याय निर्णय के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक—११६३५ दिनांक २१.०८.२०१२ द्वारा राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मियों को प्रोन्ति में आरक्षण की सुविधा परिणामी वरीयता के साथ अगले आदेश तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। इस संकल्प के विरुद्ध सुशील कुमार सिंह व अन्य के द्वारा समादेशवाद संख्या—१९११४/२०१२ दायर किया गया जिसमें दिनांक ०५.०८.२०१४ को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त संकल्प पर रोक लगा दी जिसके बाद सामान्य प्रशासन ने ज्ञा० २०१२ दिनांक १२.०८.२०१४ द्वारा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) पर प्रोन्ति हेतु विभागीय प्रोन्ति समिति की बैठक पर रोक लगायी गई।

इस मामले में दिनांक ०४.०५.२०१५ को माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद सरकार के द्वारा दिनांक १२.०८.२०१४ को प्रोन्ति समिति की बैठक की कार्यवाही पर रोक न तो हटाई गई है और न ही प्रोन्ति देने की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है बल्कि सरकार के द्वारा LPA दायर की गई। किसी न्यायालय का जो भी निर्णय होता है विक्षुब्ध वादी/परिवादी उच्चतर न्यायालय में जाता है यह एक कानूनी प्रक्रिया है। जिसके फलाफल का कोई समय—सीमा निर्धारित नहीं है। LPA १०६६/२०१५ में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक ३०.०७.२०१५ को आ गया है। इसके पूर्व इस बिन्दु पर Attorney-general भारत सरकार का राय भी प्राप्त किया गया है।

प्रोन्ति समिति की बैठक पर रोक माननीय उच्च न्यायालय का आदेश नहीं है। प्रोन्ति बाधित करना न्यायोचित नहीं है। सरकार का दायित्व कि इसका न्यायोचित रास्ता निकालकर प्रोन्ति समिति की बैठक पर लगायी रोक को हटाते हेतु प्रोन्ति का रास्ता प्रशस्त करे। प्रोन्ति समिति की बैठक नहीं होने से अनुजाति/जनजाति के अतिरिक्त अन्य सभी वर्ग के कर्मचारी/पदाधिकारी का प्रोन्ति बाधित हो गया है। कर्मचारी/पदाधिकारी सवोनिवृत्त हो रहे हैं उन्हें पेंशन की राशि का नुकसान हो रहा है। कर्मचारी/पदाधिकारी का मनोबल गिरता जा रहा है। विभिन्न पदों पर रिक्तियों बढ़ती जा रही है जिसका असर सरकारी कामकाज पर पड़ रहा है।

भवदीय से विन्द्रम् अनुरोध है कि राज्य के सभी कर्मचारियों/पदाधिकारियों के हित की रक्षा करने हेतु प्रोन्नति समिति पर रोक हटाते हुए प्रोन्नति का रास्ता प्रशस्त करने की महती कृपा की जाए।

ह0/-  
(सुशील कुमार)  
महासचिव  
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ  
सह  
संयोजक राज्य सेवा संवर्ग संघर्ष समिति

ह0/-  
(सुरेश कुमार शर्मा)  
अध्यक्ष  
बिहार प्रशासनिक सेवा संघ  
सह  
अध्यक्ष राज्य सेवा संवर्ग संघर्ष समिति

**प्रतिलिपि :-** सभी माननीय मंत्री, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से राज्य के कर्मी/पदाधिकारी के हित के लिए अपने स्तर से प्रोन्नति समिति पर रोक हटाने की दिशा में न्योयोचित कार्रवाई की जाए।

ह0/-  
(सुशील कुमार)  
संयोजक  
**प्रतिलिपि :-** मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से राज्य के कर्मी/पदाधिकारी के हित के लिए अपने स्तर से प्रोन्नति समिति पर रोक हटाने की दिशा में न्योयोचित कार्रवाई की जाए।

ह0/-  
(सुशील कुमार)  
संयोजक  
**प्रतिलिपि :-** प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अपने स्तर से राज्य के कर्मी/पदाधिकारी के हित के लिए अपने स्तर से प्रोन्नति समिति पर रोक हटाने की दिशा में न्योयोचित कार्रवाई की जाए।

ह0/-  
(सुशील कुमार)  
संयोजक  
**प्रतिलिपि :-** अध्यक्ष/महासचिव/महामंत्री/सचिव उपरोक्त सेवा संवर्ग को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-  
(सुशील कुमार)  
संयोजक  
**प्रतिलिपि :-** सम्पादक सभी दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी/अंग्रेजी)/सभी दूरदर्शन को प्रकाशनार्थ एवं प्रसारणार्थ प्रेषित।

५५/३  
(सुशील कुमार)  
संयोजक